पत्र संख्या–16 गोशाला विकास/ 2012–110/

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना।

प्रेषक,

नर्मदेश्वर लाल, भा०प्र०से०

सचिव,

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पटना।

URGENT
माननीय उच्च न्यायालय के अवमाननावाद से संबंधित।

पटना–15, दिनांक–22/4/15/2015

विषय :– **बिहार गोशाला अधिनियम के तहत निबंधित गोशालाओं की परिसम्पत्तियों पर अवैध दखल/अनधिकृत कब्जा हटाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपके पत्रांक 511 दिनांक 24.03.2015।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा आपके जिला अंतर्गत पड़ने वाले निबंधित गोशाला के पदेन अध्यक्ष–सह–अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन के आलोक में निम्न कार्रवाई समिचिन होगा:–

(क) अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा श्री कृष्णा गोशाला, पटना सिटी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त बताने के साथ–साथ गोशाला की कुल भूमि मात्र 9.16 एकड़ प्रतिवेदित किए हैं जबकि गोशाला के भूमि रजिस्टर के अनुसार गोशाला की कुल भूमि 54 बीघा 07 कट्ठा 09 घूर अंकित है। कृपया कम भूमि प्रतिवेदित करने का कारण स्पष्ट करें।

(ख) अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा श्री गोपाल गोशाला, बाढ़ का 18 बीघा 06 कट्ठा भूमि का रसीद नहीं काटने के कारणों का निष्पादन कर रसीद निर्गत करने के संबंध में शीघ्र कार्रवाई कर मामला को कृपया नियमानुकूल निष्पादित करें।

(ग) अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा प्रतिवेदित गंगा शिकास्त होने के कारण, श्री कृष्णा गोशाला, मोकामा की भूमि की मापी नहीं करायी गयी है तत्संबंधी की गयी कार्रवाई का स्पष्ट प्रतिवेदन अपेक्षित है।

(घ) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पटना जिन्होंने श्री राजेन्द्र गोकुल गोशाला, बिहटा का सदाकत आश्रम पटना स्थित भूमि क्षेत्रफल मात्र 1.30 एकड़ दर्शाया गया है जबकि गोशाला की भूमि रजिस्टर के अनुसार सदाकत आश्रम स्थित गोशाला की भूमि लगभग 10 बीघा है। इस संबंध में गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक–77 दिनांक 17.03.2015 द्वारा भूमि का पूरा ब्यौरा अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर को उपलब्ध करा दिया गया है। उस पर की गयी कार्रवाई का पूर्ण प्रतिवेदन अपेक्षित है।

यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि इस मामले में आपके द्वारा सप्ताहिक समीक्षा आवश्यक होगी क्योंकि इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। साथ ही सभी प्रतिवेदनों में जमीन का व्योरा (रकवा) बीघा/एकड़ में भिन्न–भिन्न प्रतिवेदित किया जा रहा है जबकि गोशाला भूमि रजिस्टर में प्रायः बीघा, कठ्ठा एवं घूर में अंकित है। अनुरोध है कि अपने प्रतिवेदन में रकवा बीघा/एकड़ दोनों इकाई में प्रतिवेदित किया जाय।

अतः उपरोक्त पर समयवद्ध एवं ठोस कार्रवाई की नितान्त आवश्यकता है। पुनः संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–पदेन अध्यक्ष गोशाला को दिनांक–25.04.2015 तक गोशाला की भूमि की अद्यतन स्थिति एवं मुक्त कराये गये भूमि का विवरण अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल (secyahd-bih@nic.in) /हाथों–हाथ अचुक रूप से भेजने का निदेश दिया जाय।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

21/04/15

सचिव,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना।